केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

राजभाषा अनुभाग

****

फा.सं.- सीईए-एसवाई-27-31/1/2021-रा.भा./ 12 दिनांक- 02 जून,2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रभागों/अनुभागों का राजभाषायी निरीक्षण।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, 2025-26 में निहित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए राजभाषा अनुभाग द्वारा केविप्रा के निम्नलिखित प्रभागों/अनुभागों का उनके हिंदी में कार्य की प्रतिशतता की आवश्यक जांच एवं प्रतिशतता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में वर्ष 2025-26 के लिए निरीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत् है:

केविप्रा कार्यालय के प्रभागों/अनुभागों का राजभाषायी निरीक्षण कार्यक्रम 2025-26

क्र. सं.	प्रभाग/अनुभाग का नाम	पत्राचार/टिप्पणी का प्रतिशत	निरीक्षण की तिथि व समय
1.	आरए	87.88	24.06.2025 पूर्वाह्न 11 बजे से
2.	टी सी डी	94	24.06.2025 पूर्वाह्न 12 बजे से
3.	आर पी एन टी	98.13	25.06.2025 पूर्वाह्न 11 बजे से
4.	बजट	95.09	25.06.2025 पूर्वाह्न 12 बजे से
5.	लीगल	99.5	30.06.2025 पूर्वाह्न 11 बजे से
6.	पी एस पी एम	95.80	30.06.2025 पूर्वाह्न 12 बजे से
7.	ई एस सिस्टम	95.50	01.07.2025 पूर्वाह्न 11 बजे से
8.	सीईआई	97.63	01.07.2025 पूर्वाह्न 12 बजे से
9.	रोकड़-2	97.98	04.07.2025 पूर्वाह्न 11 बजे से
10.	पी एस ई टी डी	98.95	04.07.2025 पूर्वाह्न 12 बजे से
11.	पेंशन	99.72	08.07.2025 पूर्वाह्न 11 बजे से
12.	प्रशासन-1	99.26	08.07.2025 पूर्वाह्न 12 बजे से
13.	जीएम	72.97(टिप्पणी)	09.07.2025 पूर्वाह्न 10.30 बजे से
14.	टी पी पी डी	100(रिपोर्ट प्राप्ति में विलंब)	09.07.2025 पूर्वाह्न 11.30 बजे से
15.	एफएम	100(रिपोर्ट प्राप्ति में विलंब)	09.07.2025 पूर्वाह्न 12.30 बजे से

सभी प्रभाग/अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे निरीक्षण में पूर्ण सहयोग करें एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण के दिन उपस्थित रहने के निर्देश दें। संलग्न निरीक्षण प्रपत्र में अपेक्षित जानकारियां भरकर अपने अनुभाग/प्रभाग के नियंत्रक अधिकारी से हस्ताक्षरित कर निरीक्षण से पूर्व तैयार रखें ताकि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में भरे आंकड़ों की भौतिक जांच से उनकी पुष्टि की जा सके।

यह राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियन्ता, एच आर डी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

2/6/25

(ऊषा वर्मा)

उप निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

उपर्युक्त सभी संबंधित प्रभाग/अनुभाग प्रमुख।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 60% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक), वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	**45%**	**35%**	**25%**

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।